न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2017

1. गुरदयालसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. जरनैलसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरनेबसिंह पुत्र केहरसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
4. महेन्द्रकौर पत्नी जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला)
2. मुखत्यारसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी.(काकूसिंहवाला)
3. गुरजन्टसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जटसिख निवासी ठंठयावाली तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।
4. सुखविन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी.–मृतक

   4/1 लखवीरसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह
   4/2 जसवीरसिंह पुत्र सुखविन्द्रसिंह
   4/3 देवेन्द्रकौर पत्नी सुखविन्द्रसिंह

   जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला) तह0 रायसिंहनगर।

5. अतरसिंह पुत्र अलबेलसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली –मृतक

   5/1सुखपालसिंह
   5/2 सागरसिंह
   5/3 रूपसिंह

   पुत्रगण अतरसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तह0 व जिला मानसा (पंजाब)।

6. गुरचरणसिंह पुत्र अलबेलसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाला –मृतक

   6/1 हरबंससिंह पुत्र गुरूचरणसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तह0

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

व जिला मानसा (पंजाब)।

6/2 मेजरसिंह
6/3राजविन्द्रसिंह | पुत्रगण गुरूचरणसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तह0 व जिला मानसा (पंजाब)।

6/4 गुरदेवकौर पत्नी गुरूचरणसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तहसील व जिला मानसा (पंजाब)।

7. गुरदेवकौर पत्नी जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला)

8. पालसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. –मृतक

8/1 सुखदीपकौर पत्नी पालसिंह
8/2 हरमीतकौर पुत्री पालसिंह
8/3 गुरप्रीतकौर पुत्री पालसिंह
8/4 किरणजीतकौर पुत्री पालसिंह
8/5 कुलवीरकौर पुत्री पालसिंह | जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला) तह0 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

9. कुलदीपसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी. (काकूसिंहवाला)।

10. रघुवीरसिंह पुत्र अलबेलसिंह जाति जटसिख निवासी ठूंठयावाली तहसील व जिला मानसा(पंजाब)।

11. माघसिंह पुत्र कालासिंह
12. सुरजीतकौर पत्नी माघसिंह
13. जसवीरसिंह पुत्र माघसिंह
14. केवलसिंह पुत्र माघसिंह | जाति जटसिख निवासी 27 आर.बी.(काकूसिंहवाला) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

15. स्टेट आफ राजस्थान।

––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 17.09.2013

उपस्थितिः–

श्री गुरप्रतापसिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री प्रीतमसिंह गिल अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 2, 4/2, 11 से 14

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक 21.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 48, 53, 88 का पेश कर कथन किया कि वादी अन्य प्रतिवादीगण के साथ चक 27 आर. बी. के मु.नं. 28 में 6.325है0, मु.नं. 30 के 1.200है0 , मु.नं. 45 के 2.379है0, मु.नं. 46 के 6.200है0 , मु.नं. 47 के 6.225है0 , मु.नं. 57 में 0.380है0 धारण करते हैं जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा संयुक्त खाता में है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस में बंटवारा कर रखा है। आपसी बंटवारा अनुसार मद सं. क से ग में अंकित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई है। किन्तु रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क से ग अनुसार विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादी सं. 1, 14, 15, 16, 17 ने इकवाली जबाबदावा पेश किया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने दिनांक 02.06.2004 को वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाये जाने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 17.09.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह डिक्री जारी की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमें में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने जान बूझकर अपीलांट व अन्य के गलत पते दर्ज करवाते हुए वाद पेश किया था। अपीलांट सं. 2 जरनैलसिंह का बलविन्द्रसिंह नाम का कोई लडका नहीं है। फर्जी लडका बनाकर बिना तामील करवाये एकतरफा आदेश पारित करवा लिया। वादी ने जो डिक्री जारी करवायी है एवं विभाजन में भूमि अपने नाम करवायी है। उनपर आज तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं कि.नं. 24 में अपीलांट ने टयूबवेल लगा रखा है।

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया है जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी की अपील पेश कर दी। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1, 14, 15, 16, 17 ने इकवाली जबाबदावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण में से प्रतिवादी सं. 2, 4 से 7 , 9, 11, 12 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 02.06.2004 को प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन के प्रस्ताव तहसीलदार से मंगवाए गये। विभाजन प्रस्ताव आने पर अधी. न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी की जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 17.09.2013 के विरूद्ध दिनांक 10.03.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादीगण को जारी नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि नोटिस प्राप्त करने वाला कौन है उसका क्या नाम है तथा प्रतिवादीगण से उसका क्या सम्बन्ध है, उसने क्यों प्राप्त किया है इसका कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 09.05.2018 को प्रा.पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया है कि अधी. न्यायालय में अपीलांट पर सम्मन की तामील उसके बलविन्द्रसिंह नामक लडका होना दर्शाते हुए करवा, उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करवा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाये गये हैं जबकि अपीलांट का बलविन्द्रसिंह नाम का कोई

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

लडका ही नहीं है। इस सम्बन्ध में अपील में भी अभिकथन किये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपीलांट परिवार राशन कार्ड प्रस्तुत कर रहा है जो पूर्व में घर में कहीं रखकर भूल जाने के कारण मिल नहीं पाया अब घर की साफ–सफाई के दौरान मिलने पर न्यायालय में पेश कर रहा है जिसके फर्जी व कूटरचित होने या बाद में बनाये जाने का कोई अन्देशा नहीं है जिससे न्यायालय को भी न्याय करने में मदद मिलेगी। इसलिए संलग्न दस्तावेज को पत्रावली पर लिया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा सूरत में अपीलांट के साथ गैर इन्साफी होने व अपूर्णीय क्षति होने का अन्देशा रहेगा। दस्तावेज को रिकार्ड पर लिये जाने का अभिभाषक रेस्पों. द्वारा विरोध नहीं करने पर पत्रावली पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दस्तावेज को यह पढने से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के नाम अधी. न्यायालय में सम्मन/नोटिस तामीली समुचित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही गलत की गई है। अतः प्राकृतिक न्याय की मांग है कि दूसरे पक्ष को सुना जाना न्यायोचित है तदानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2013 निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)